फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द
निवासी जैन धर्मशाला के पास
सिरोही रोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

मुकदमा नं. 10 वर्ष 2023

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.03.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 21.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री धुकसिंह पुत्र श्री भोमसिंह राजपूत को जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 31.10.1981 एवं श्री प्रागचंद पुत्र श्री नोपाजी जैन के नाम से जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 25.08.1985 के पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता श्री कपूरचन्द द्वारा निगरानी संख्या 07 / 2008 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की भूमि ठीकाणा कालन्द्री की होने के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा कोई आदेश प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 21.01.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री धुकसिंह पुत्र श्री भोमसिंह राजपूत को जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 31.10.1981 एवं श्री प्रागचंद पुत्र श्री नोपाजी जैन के नाम से जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 25.08.1985 के पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता श्री कपूरचन्द द्वारा निगरानी संख्या 07 / 2008 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की भूमि ठीकाणा कालन्द्री की होने के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा कोई आदेश प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा ज[illegible] / 2023 / 1377 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा उक्त [illegible] को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज [illegible] जाती है। निर्णय सरे [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bulla (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner